फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

घेवाराम
बनाम
अणसीदेवी वगै.

किस्म मुकदमा 225 आर.टी एक्ट न. 43 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.07.2021	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री कपिल चौधरी उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 108/2020 बअनवान घेवाराम बनाम अणसीदेवी वगै. में पारित आदेश दिनांक 16.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करने दे रहे है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:– DNJ 2021(1) Page 212 RRD 1996 Page 148 अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है तो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अपीलाधीन आलोच्य आदेश की आड़ में अपीलांट को उनके कब्जा काश्त आदि में किसी प्रकार की दखलदांजी रेस्पोडेंटगण करते हैं तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति संभाव्य है। अतः स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए एडमिशन स्टेज पर स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.07.2021 को खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2020 को मूल वाद के निस्तारण तक यथावत रखने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	